

6



माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12022 निगरानी - 714 - I/12

- १- कान्हा पुत्र अमरा बैरवा  
निवासी-ग्राम ढौंडपुर
- २- कौशल्या पुत्री अमरा पत्नी किशनलाल  
बैरवा निवासी-ग्राम ढौंडपुर हाल निवासी  
ग्राम लूंड परगना वजिला श्योपुर 4090

—आवेदकगण

श्री. श्याम सुधा आर्य  
द्वारा आगत 26-3-20  
प्रस्तुत

बनाम

क  
वलरु अफि कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- १- पुरनसिंह पुत्र नागाराम जाति जाट  
निवासी-ग्राम ढौंडपुर
- २- कन्हैया पुत्र अमरा बैरवा निवासी-ग्राम  
ढौंडपुर
- ३- कनका पुत्री अमरा बैरवा पत्नी लक्ष्मी राम  
बैरवा निवासी-हाल कुंडहवेली तहसील व  
जिला श्योपुर 4090

—आवेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 40 मू-राजस्व संहिता  
विरुद्ध आदेश दिनांक १६-१२-२०११ पारित द्वारा  
अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर  
प्रकरण क्रमांक ६० 10६-०१० अील जिसके द्वारा  
आदेश दिनांक ३०-६-२००६ पारित द्वारा  
तहसीलदार श्योपुर प्रकरण क्रमांक ५१ ०५ 1-०६ 1अ-२७  
पीरितकियागया था, में अपीलीय न्यायालय द्वारा  
आवेदकगण की अपील अधि बाहर मानते हुये आवेदकगण  
द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी।

AM

3

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-714-एक/2012

जिला-शयोपुर

कन्हा व अन्य विरुद्ध पूरन सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री अंशु गुप्ता एवं अनावेदक की ओर से श्री ए.के. सिंघल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शयोपुर, जिला-शयोपुर के प्रकरण क्रमांक 90/2009-10/अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शयोपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(आर0क0 जैन) सदस्य</p>	